

**@shahjahanpurpol**

**प्रेस नोट दिनांक-18.10.2021**

**शाहजहाँपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,**

**04 घंटे के अंदर अधिवक्ता भूपेंद्र की हत्या का सफल अनावरण,**

**कचहरी परिसर में अधिवक्ता भूपेंद्र की हत्या करने वाला अभियुक्त सुरेश गुप्ता गिरफ्तार,**

**पेशे से अधिवक्ता है, अभियुक्त मुकदमे बाजी की रंजिश के चलते दूसरे अधिवक्ता के द्वारा की गई थी हत्या।**

आज दिनांक 18.10.2021 को थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत स्थित कचहरी परिसर में अधिवक्ता श्री भूपेंद्र सिंह की लगभग 11:30 बजे गोली लगा शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर तत्काल जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया तथा फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलित किए गए, मृतक के भाई श्री योगेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 764/21 धारा 302/120 बी भादवि बनाम सुरेश कुमार गुप्ता, गौरव गुप्ता व अंकित गुप्ता पंजीकृत किया गया।

अब तक की विवेचना से पाया गया कि सुरेश कुमार गुप्ता भी अधिवक्ता है तथा इनकी वर्ष 2000 से मृतक अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह से दीवानी व फौजदारी के दे दर्जन से अधिक आपस में मुकदमे चल रहे थे।

पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये नामित अभियुक्त अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता से गहन पूछताछ की गयी। सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए स्वयं अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या किया जाना स्वीकार किया गया जिस सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है जिसे विवेचना में सम्मिलित किया जायेगा।

आरोपी अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता को नियमानुसार गिरफ्तार कर वैधानिक साक्ष्यो को संकलित करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।